वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग में नवंबर, 2023 के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति निम्नानुसार हैं:-

i. वित्तीय सेवाएं विभाग अपनी 6 प्रमुख योजनाओं और केसीसी, पीएमस्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/एलडीएम और नाबार्ड के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) में भाग ले रहा है। सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों में बैंकों/नाबार्ड के अधिकारी लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और बिहार में वीबीएसवाई के आयोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अध्यक्षता में एसबीआई और नाबार्ड के अध्यक्षों और पीएसबी के एमडी और सीईओ के साथ यात्रा की संक्षिप्त जानकारी, निगरानी और समीक्षा के लिए कई बैठकें की गई हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यात्रा के प्रत्येक स्थान पर कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए एसएलबीसी/एलडीएम के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

ii. नवंबर 2023 माह के दौरान, विभाग द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल और तमिलनाडु के रामेश्वरम और विरुधुनगर में माननीय वित्त मंत्री के आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान, तिरुवनंतपुरम में, विभिन्न योजनाओं जैसे खुदरा, एमएसएमई और कृषि संबंधी योजनाओं के तहत बैंकों के 1.52 लाख लाभार्थियों को 6,015 करोड़ रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र दिए गए। रामेश्वरम में पीएमस्वनिधि के 2,408 लाभार्थियों को 2.71 करोड़ रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए और विरुधुनगर में पीएमस्वनिधि योजना से 1,247 लाभार्थियों (1.72 करोड़ रुपये) को लाभ प्राप्त हुआ।

iii. सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने दिनांक 28.11.2023 को नई दिल्ली में वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बैंकों की तैयारियों का जायजा लिया गया और इस तरह के साइबर हमलों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सचिव, दूरसंचार और संबंधित मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अभिचिह्नित भुगतान बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

iv. पीएसबी 18 अभिचिह्नित व्यवसायों में कार्यरत कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर, बाजार से जुड़ने में सहायता करके और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को आरंभ की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एमएसएमई के पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, इस पोर्टल पर 29.58 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

v. माननीय वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन की संगणना की मौजूदा दोहरी दर के स्थान पर इसके सभी पेंशनभोगियों के लिए 50% की एक समान दर पर पेंशन की संगणना करने को अनुमोदित कर दिया है।

vi. सचिव (डीएफएस) ने "विशेष अभियान 3.0 - ग्रामीण वित्तीय साक्षरता" पर एक पुस्तिका जारी की है जिसमें भारत सरकार के विशेष अभियान 3.0 के दौरान नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों के बारे में जानकारी दी गई है। 479 जिलों को कवर करने और 1.35 लाख परिवारों को सशक्त बनाने के लिए 640 विशेष शिविर आयोजित किए गए। अभियान के दौरान, 94,209 नए पीएमजेजेबीवाई नामांकन और 1.78 लाख नए पीएमएसबीवाई नामांकन किए गए। पीएमजेडीवाई के तहत 1.05 लाख खाते खोले गए। अभियान के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 34,279 एपीवाई नामांकन किए गए थे।

vii. इस विभाग द्वारा आयोजित अंतर-विभागीय समिति की सिफारिश पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23.10.2023 के अपने पत्र के माध्यम से भारत में अतिरिक्त बैंक शाखाएं स्थापित करने के लिए कूकमिन बैंक और वूरी बैंक, दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

viii. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

**अनुबंध**

**वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप**

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति :

| योजनाएं | दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर) | वित्तीय वर्ष 2023-24 में वृद्धि (दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार) | नवम्बर, 2023 में वृद्धि |
|---|---|---|---|
| प्रधानमंत्री जन धन योजना (**पीएमजेडीवाई**)<br>● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या<br>● जमाराशि<br>● रूपे कार्ड की संख्या | <br>51.04 करोड़<br>2,08,855 करोड़ रूपये<br>34.67 करोड़ | <br>2.39 करोड़<br>10,010.93 करोड़ रूपये<br>1.73 करोड़ | <br>23 लाख (15 लाख ग्रामीण + 8 लाख शहरी)<br>2695.79 करोड़ रूपये<br>15.97 लाख |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (**पीएमएसबीवाई**)<br>● नामांकन<br>● संवितरित दावों की संख्या | <br>41.31 करोड़<br>1,26,286 | <br>7.53 करोड़<br>10,993 | <br>68 लाख<br>1,469 |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (**पीएमजेजेबीवाई**)<br>● नामांकन<br>● संवितरित दावों की संख्या | <br>18.64 करोड़<br>7,20,699 | <br>2.64 करोड़<br>60,316 | <br>31 लाख<br>10,420 |
| अटल पेंशन योजना (**एपीवाई**)<br>(30.11.2023) | <br>5.97 करोड़ | <br>76.73 लाख | <br>9.27 लाख |

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**

| | योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 24.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार)) | | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 24.11.2023 तक) | | नवम्बर, 2023 के दौरान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या (करोड़ में) | राशि (लाख करोड़ रुपए में) |
| शिशु | 36.50 | 10.15 | 2.24 | 0.78 | 0.21 | 0.07 |
| किशोर | 7.06 | 9.73 | 0.97 | 1.15 | 0.09 | 0.11 |
| तरूण | 0.90 | 6.25 | 0.08 | 0.71 | 0.01 | 0.08 |
| कुल | 44.46 | 26.13 | 3.29 | 2.64 | 0.31 | 0.26 |
| एससी/एसटी/ओबीसी (कुल सं. में शामिल) | 22.65 | 9.19 | 1.74 | 1.02 | 0.16 | 0.10 |
| महिलाएं (कुल में से) | 30.64 | 11.80 | 2.39 | 1.21 | 0.22 | 0.12 |

**स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)**

| | योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 30.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार) | | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 30.11.2023 तक) | | नवम्बर, 2023 के दौरान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) | खातों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए में) |
| अजा. | 33,331 | 7,046.99 | 4,699 | 1,008.74 | 483 | 94.99 |
| अजजा. | 11,297 | 2,430.33 | 1,820 | 377.99 | 148 | 27.45 |
| महिलाएं | 1,66,003 | 37,943.92 | 17,296 | 3,837.03 | 1,467 | 304.09 |
| **कुल** | **2,10,631** | **47,421.24** | **23,815** | **5,223.76** | **2,098** | **426.53** |

2. **किसान क्रेडिट कार्ड विशेष परिपूर्णता अभियान:** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पीएम-किसान लाभार्थियों, डेयरी किसानों और मछुआरों सहित किसानों को केसीसी के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा किसानों को किफायती ऋण प्रदान करने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 24 नवम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार, 5,56,935 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ केसीसी योजना के अंतर्गत 456.28 लाख किसानों (पशुपालन और डेयरी किसानों तथा मछुआरों सहित) को कवर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। विगत वर्षों में केसीसी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए अभियान फिर से शुरू किया गया है। 17 नवम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार 2,14,738 शिविर लगाए गए हैं और इस विशेष साप्ताहिक अभियान के अंतर्गत कुल 19,79,635 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

3. **कृषि के लिए ऋण प्रवाह:** वर्ष 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य 20.00 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 अक्तूबर, *2023* तक उपलब्धि 13.98 लाख करोड़ रुपये है, जो लक्ष्य का 70*%* है। भारतीय कृषि विगत छ: वर्षों से 4.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है।

4. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार, 58 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 237 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 83 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 1.93 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.52 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से 32.84 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है तथा ग्राहकों की सहमति से एए ढांचे के माध्यम से 34.95 मिलियन आंकड़े सफलतापूर्वक साझा किए गए हैं।

5. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार 10,392.15 करोड़ रुपये की राशि के कुल 78.72 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 74.10 लाख ऋण आवेदनों के संबंध में 9,741.60 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार, 167.30 करोड़ कासा खातों में से, 145.50 करोड़ खातों (87%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

7. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों का बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.04 करोड़ और 14.44 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है, इनमें से नवम्बर, 2023 के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.27 लाख और 12.62 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

*******